

**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, भीनमाल**

क्रमांक : जालोर-16,18,25(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)/2019-20/निविदा/678 दिनांक-12/03/2020

निदेशक,

निदेशालय,

सूचना एवं जन संपर्क विभाग (विज्ञापन),

सचिवालय, जयपुर

विषय-निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि कार्यालय अधीन निविदा आमंत्रण सूचना को प्रकाशित किया जाना है, कृपया जोधपुर संभाग प्रकाशन में अधिकतम दो समाचार पत्रों में न्यूनतम साईज में नियमानुसार अविलम्ब प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावे।

(दिलीप कुमार वर्मा)

अधिशाषी अभियन्ता

जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण

भीनमाल (जालोर)

संलग्न-

1. अल्पकालीन ई-निविदा सूचना -07/2019-20(सात प्रतियों में)
2. अल्पकालीन ई-निविदा सूचना -07/2019-20(सोफ्ट कॉपी सी.डी.में)

क्रमांक : जालोर-16,18,25(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)/2019-20/निविदा/679-682 दिनांक-12/03/2020

प्रतिलिपी सूचनार्थ-

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जालोर।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर।
4. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक, जलग्रहण विकास, जिला परिषद, जालोर।

(दिलीप कुमार वर्मा)

अधिशाषी अभियन्ता

जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण

भीनमाल (जालोर)

## कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जलग्रहण, विकास एवं भू-संरक्षण भीनमाल

क्रमांक: जालोर -16.18.25(I.W.M.P)/ निविदा/ 676-677

दिनांक 12 <sup>03</sup>/<sub>2020</sub>

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या : 07/2019-20

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से आई.डब्ल्यू.एम.पी. जालोर -16, जालोर-18, जालोर-25, परियोजना अन्तर्गत मशीनरी द्वारा जलग्रहण क्षेत्र में मिट्टी के कार्य यथा फिल्ड बंड मय वेस्ट वियर अर्दन चेकडेम मय वेस्ट वियर एवं टांका मय आगोर पेरिफेरल बंड एस.एस.बी. कटल शेड, मेंजर निर्माण कार्य मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान पंचायतिराज. नियम 1996 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग /जल संसाधन विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं राजकीय संस्थाओं में पंजिकृत सक्षम श्रेणी के संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई टेन्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाये आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण, निविदा प्रपत्र, शर्तें, बन्ध, उपबन्ध इत्यादी वेब साईट

<http://www.water.shed.rajasthan.gov.in> व <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>

एवं <http://www.sppp.raj.nic.in> पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदको को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से निविदा वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना आवश्यक है। ऑनलाईन निविदा भरने की प्रक्रिया संवेदक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से दिनांक 14.03.2020 को प्रातः 9.30 बजे से दिनांक 25.03.2020 को सायं 05.00 बजे तक की जा सकेगी। निविदा सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन देखकर डाउनलोड कर भरे हुए निविदा प्रपत्र मय आवश्यक दस्तावेज सहित उपर वर्णित समयवाधि में ऑनलाईन अपलोड किये जा सकेंगे।

NIB CODE -WSC1920A1192

निविदा संख्या	यू.बी.एन. नम्बर
1	WSC1920WSRC03162
2	WSC1920WSRC03163
3	WSC1920WSRC03164

(दिलीप कुमार वर्मा)  
अधिशाषी अभियन्ता,  
ज.ग्र.वि.एवं.भू.-स.भीनमाल  
जिला-जालोर

कृपया इसे प्रकाशन में सम्मिलित ना करें।

क्रमांक : जालोर -16.18.25(I.W.M.P)/ निविदा/ 676-677

दिनांक 12 <sup>03</sup>/<sub>2020</sub>

प्रतिलिपि वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1-श्रीमान निदेशक, निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन), शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को अधिकतम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में जोधपुर सभाग स्तरीय संस्करण में नियमानुसार न्यूनतम जगह में अविलम्ब प्रकाशित कराये जाने की कार्यवाही करावे।

(दिलीप कुमार वर्मा)  
अधिशाषी अभियन्ता,  
ज.ग्र.वि.एवं.भू.-स.भीनमाल  
जिला-जालोर

## कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, भीनमाल

(IWMP JALORE-16,18,25)

Email - bhinmal.iwmp@gmail.com

क्रमांक : Jalore-16,18,25 (IWMP) / 2019-20 / निविदा / 670-675

दिनांक-12/03/2020

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना- 07 / 2019-20

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्य मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिए जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित हैं के लिए राजस्थान बैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/ नगर निगम एवं राजस्थान राज्य सरकार के अधीकृत संगठनों के पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाये आमन्त्रित की जाती हैं।

निविदा से सम्बंधित समस्त विवरण वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [www.watershed.rajasthan.gov.in](http://www.watershed.rajasthan.gov.in), एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से निविदा वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों)	धरोहर राशि (रु०)	निविदा फॉर्म का मूल्य (रु०)	निविदा प्रोसेसिंग फीस का मूल्य (रु०)	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने एवं ऑनलाईन अपलोड करने का समय	कागजात कार्यालय में जमा करवाने का समय एवं स्थान	निविदा खोलने का समय	कार्य अवधि
1	भीनमाल	Manger Work For project area Jalore - 16(IWMP) Block Bhinmal	4.22	8440	500	500		कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास, भीनमाल दिनांक- 14.03.20 को प्रातः 09:30 से दिनांक 26.03.20 को दोपहर 1:00 बजे तक प्रतिदिन।		31.03.2020
2	जसवन्तपुरा	Cattle Shed And Manger Work For project area Jalore -18 (IWMP) Block Jaswantpura	52.20	104400	1000	1000	दिनांक- 14.03.2020 को प्रातः 09:30 से दिनांक 25.03.2020 को साय 5:00 बजे तक		दिनांक- 26.03.20 को दोपहर 2:00 बजे से।	31.03.2020
3	जसवन्तपुरा	Field Bund with Waste weir, Earthen bund with Waste weir, Periphearl Bund, Sub Surface Barrier, Cattle Shed, Manger And Tanka with Agor Construction for project area jalore -25( IWMP ) Block Jaswantpura	91.94	183880	1000	1000				31.03.2021

नोट- 1. धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस :-

कार्य संख्या 1 के लिये - NEFT/RTGS/Online Transfer द्वारा सहायक अभियंता पदेन पी.आई.ए. भीनमाल के खाता संख्या 61148608733, Branch- Bhinmal ADB Branch station road bhinmal, IFSC Code- SBIN0031314 में दिनांक 14.03.2020 से 25.03.2020 तक सांय 04:00 बजे तक फर्म के बैंक खाते से जमा करवाने होंगे।

कार्य संख्या 2 के लिये - NEFT/RTGS/Online Transfer द्वारा सहायक अभियंता पदेन पी.आई.ए. आई.डब्ल्यू.एम.पी.-18 जसवंतपुरा के खाता संख्या 61169862638 Branch Jaswantpura IFSC code - SBIN0031183 ~~SBIN0031314~~ में दिनांक 14.03.2020 से 25.03.2020 तक सांय 04:00 बजे तक फर्म के बैंक खाते से जमा करवाने होंगे।

कार्य संख्या 3 के लिये - NEFT/RTGS/Online Transfer द्वारा सहायक अभियंता पदेन पी.आई.ए. आई.डब्ल्यू.एम.पी.-25 जसवंतपुरा के खाता संख्या 61264313463 Branch Jaswantpura IFSC code - SBIN0031183 ~~SBIN0031314~~ में दिनांक 14.03.2020 से 25.03.2020 तक सांय 04:00 बजे तक फर्म के बैंक खाते से जमा करवाने होंगे।

2. ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक 26.03.20 दोपहर 2.00 बजे से।

3. कार्य की मात्रा घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

4. धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के जमा की NEFT/RTGS/Online Transfer का विवरण ( बैंक द्वारा जारी फर्म के खाते का बैंक स्टेटमेंट ), वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध बैंक/जी.एस.टी. विलयरेन्स प्रमाण पत्र एवं मशीनरीज के पंजीकरण के दस्तावेजों को दिनांक- 14.03.2020 से दिनांक 25.03.2020 को सांय 5.00 बजे तक ऑनलाईन अपलोड निर्धारित समय में करना आवश्यक होगा।

(दिलीप कुमार वर्मा)  
अधिशायी अभियन्ता,

ज.ग्र.वि.एवं.भू-स. भीनमाल जिला- जालोर

क्रमांक : Jalore-16,18,25 (IWMP) / 2019-20 / निविदा / 670-675

दिनांक- 12 <sup>03</sup>/<sub>2020</sub>

प्रतिलिपि सुचनार्थ :-

- 1- श्रीमान आयुक्त महोदय, आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने की व्यवस्था फ़रमावे।
- 2- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जालोर/ श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जालोर।
- 3- श्रीमान परियोजना प्रबन्धक एवं अधीक्षण अभियन्ता वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद जालोर, को सुचनार्थ एवं कार्यालय नोटिश बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।
- 4- श्रीमान् निदेशक, निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन) शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन कि उक्त निविदा सूचना आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट प्रकाशित करावें।
- 5- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(दिलीप कुमार वर्मा)  
अधिशायी अभियन्ता,

ज.ग्र.वि.एवं.भू-स. भीनमाल  
जिला- जालोर

## निविदा शर्तें

1. निविदा की समस्त कार्यवाही ऑनलाईन होगी।
2. निविदाएँ वित्तीय एवं तकनीकी दो बिडों में ऑनलाईन आमंत्रित की जावेगी जिन्हे ऑनलाईन तकनीकी एवं वित्तीय बीड में अलग-अलग खोली जावेगी।
3. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर राशि को NEFT/RTGS/Online transfer के द्वारा निम्न वर्णित खाते में दिनांक 14.03.2020 से 25.03.2020 तक सांय 05:00 बजे तक फर्म के बैंक खाते से जमा कराना होगा राशि कम होने पर निविदा आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।  
कार्य संख्या 1 के लिये :-

Name of Bank - State Bank of India

Branch - ADB branch

Address - station road bhinmal

Account Name- Assistant Engineer P.I.A. Jalore - 16 I.W.M.P. Bhinmal

Account No. - 61148608733

IFSC Code - SBIN0031314

कार्य संख्या 2 के लिये :-

Name of Bank - State Bank of India

Branch - Jaswantpura

Address - SBI Jaswantpura

Account Name- Assistant Engineer P.I.A. Jalore-18 I.W.M.P. Jaswantpura

Account No. - 61169862638

IFSC Code SBIN0031183

कार्य संख्या 3 के लिये :-

Name of Bank - State Bank of India

Branch - Jaswantpura

Address - SBI Jaswantpura

Account Name- Assistant Engineer P.I.A. Jalore-25 I.W.M.P. Jaswantpura

Account No. - 61264313463

IFSC Code - SBIN0031183

### (अ) निविदा में तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज-

1. संवेदक पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
2. जी.एस.टी. नम्बर पंजीयन की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. पेन कार्ड की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. फर्म के पास निर्माण कार्यों को करवाने हेतु दक्ष अभियंता के होने का प्रमाण पत्र मय अभियंता की फर्म के साथ किये गए अनुबंध की प्रति।
5. बिड डॉक्यूमेन्ट (Tender bid document) को निविदा प्रपत्रों के साथ पूर्ण कर ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6. संवेदक के पास स्वयं/फर्म के नाम पंजीकृत आवश्यक मशीनरीज के पंजीकरण का प्रमाण पत्र अथवा कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक मशीनरीज नहीं हैं और फर्म/संवेदक अन्यत्र से व्यवस्था करते हैं तो संबंधित मशीनरीज का पंजीकरण का प्रमाण पत्र एवं इसके साथ रु. 100 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह हलफनामा देना होगा कि उक्त मशीनरीज कार्य आवंटन होने पर फर्म की ओर से उपलब्ध कराई जावेगी।
7. निविदा हेतु पात्र संवेदकों का पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। निम्न श्रेणी के अनुसार संवेदक पात्र होंगे-  
रूपये 15.00 लाख तक डी श्रेणी संवेदक  
रूपये 50.00 लाख तक सी श्रेणी संवेदक  
रूपये 150.00 लाख तक बी श्रेणी संवेदक


रूपये 300.00 लाख तक ए श्रेणी संवेदक  
किसी भी सीमा तक एए श्रेणी संवेदक।

तकनीकी बिड में समस्त वांछित दस्तावेज निविदा शर्तों, मय निविदा शुल्क, 2 प्रतिशत धरोहर राशि एवं एम.डी., आर.आई.एस.एल, जयपुर प्रोसेसिंग शुल्क (NEFT/RTGS/Online Transfer) का विवरण (बैंक द्वारा जारी फर्म के खाते का बैंक स्टेटमेंट) तथा, उपरोक्त सभी दस्तावेजों एवं शर्तों में सम्मिलित अन्य वांछित दस्तावेज की प्रतियां ऑनलाईन अपलोड किये जावेंगे। उपरोक्त दस्तावेज तकनीकी बिड में ऑनलाईन पाये जाने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। वित्तीय बिड में केवल दर अंकित करने वाला प्रपत्र एवं भार्ते, निविदा प्रपत्र को ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा, अन्य कोई दस्तावेज वित्तीय बिड हेतु ऑनलाईन नहीं लिया जावेगा। तकनीकी बिड में पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत धरोहर राशि व निविदा शुल्क तथा एम.डी. आर.आई.एस.एल प्रोसेसिंग शुल्क उपरोक्त वर्णित खातों में फर्म के बैंक खाते से जमा करवाना आवश्यक होगा। धरोहर राशि, प्रोसेसिंग फीस एवं निविदा शुल्क नगद अथवा अन्य रूप में स्वीकार नहीं की जावेगी।

4. संवेदक के द्वारा धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के जमा की NEFT/RTGS/Online Transfer का विवरण ( बैंक द्वारा जारी फर्म के खाते का बैंक स्टेटमेंट ) के साथ जी.एस.टी. नम्बर की प्रमाणित प्रति, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति, संवेदक के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति व शपथ पत्रों की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना आव यक होगा।
5. जलग्रहण क्षेत्र निविदा की विधि मान्यता, कार्यादेश जारी करने की दिनांक से निर्धारित समय तक पूर्ण करना होगा।
6. कार्य सामग्री सहित पूर्ण आईटम किया जाना है इस हेतु SBD (Standard bid document) में सम्मिलित आईटम में सामग्री की दरों में बढोतरी हेतु अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। नियमानुसार जी.एस.टी./ इन्कम टैक्स/रॉयल्टी व लेबर सैस की कटौती कर ही भुगतान किया जावेगा।
7. निर्माण कार्य निविदा तक Technical Specification के अनुसार किया जावेगा। कार्यकारी एजेन्सी/ तकनीकी अधिकारी को आव यकता पडने पर निविदादाता द्वारा सामग्री के आपूर्ति बिल के साथ सामग्री की अनुमोदित लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। मानक आईटम आई.एस.आई. मार्का का होना चाहिये। वि. निर्देश (Specification) से निम्न स्तर की सामग्री पाये जाने पर कार्य का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा अधि ाषी अभियंता, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, भीनमाल का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
8. राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के पत्र क्रमांक: एफ.4 (82)पंरावि/पीसी/ बीएसआर/निविदा/1584 दिनांक 11.08.2015 के स्थायी 17/2015 के अनुसार—
  1. यदि कोई बोलीदाता "जी" अनुसूची दर से 10 प्रतिशत की दर से कम दर प्रस्तुत करता है तो बोलीदाता को 10 प्रतिशत कम दर से प्रस्तुत दर के बराबर अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी। यह राशि अनुबन्ध सम्पादन के समय जमा करानी हागी व कार्य पूर्ण हाने के पश्चात् वापस लौटाई जावेगी।
  2. न्यूनतम बोलीदाता को दर स्वीकार करने का पत्र जारी किया जावेगा। इस पत्र जारी करने की दिनांक से 7 दिवस में प्रतिभूति के रूप में फिक्स डिपोजिट रसीद के रूप में जमा करायी जा सकेगी। इन प्रतिभूतियों की वैधता निर्धारित कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि में कार्य पूर्ण नहीं करायी जाता है तो 2 प्रतिशत धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्रतिभूति भी जब्त कर ली जायेगी।
10. कार्य का कार्यादेश एवं भुगतान उपलब्ध राशि अनुसार किया जावेगा। फर्म/संवेदक अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाडे (सबलेट) पर नहीं देगा।
11. जिस फर्म की दरें स्वीकृत की जायेगी, उसे नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा जिसका व्यय सम्बन्धित फर्म को वहन करना होगा।
12. निविदा सूचना एव निविदा पत्र के साथ संलग्न निविदा शर्तों की पालना नहीं करने पर पूर्व में जमा धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा भविष्य में इस विभाग में निविदाओं में भाग लेने हेतु डीबार/ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
13. यदि कार्य में किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान संवेदक को नहीं किया जावेगा।
14. विभाग द्वारा ले-आउट एवं अन्य किसी भी बैठक में समय-समय पर बुलाये जाने पर संवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा। उसके प्रतिनिधि को मान्य नहीं माना जावेगा।

(दिलीप कुमार वर्मा)  
अधिशायी अभियन्ता  
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण  
भीनमाल, जिला-जालार (राज.)

15. निर्माण कार्य में नियमानुसार पानी से तराई व मिट्टी को कोमपेक्शन हेतु टेंकर/रोड रोलर इत्यादि आव यक मशीनरी उपलब्ध कराकर कार्य कराया जाना होगा जिसका अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
16. धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
17. प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत (जब्त) किया जावेगा—
  1. जब निविदा/संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
  2. जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
18. निविदा सूचना में वर्णित सामग्री की मात्रा अनुमानित हैं। मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती हैं। किसी भी कार्य के मौके स्थिति के अनुसार SBD (Standard Bid Document) में कोई भी परिवर्तन/संशोधन करने के लिए विभाग अपने पास पूर्ण अधिकार रखता हैं।
19. निर्माण सामग्री सप्लाई/ निर्माण कार्य के दौरान जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
20. निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अनुसार उपापन प्रक्रिया के दौरान उपापन संस्था के निर्णय, कार्यवाही या लोप, इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रथम अपील अधिकारी अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जिला परिषद, जालोर तथा द्वितीय अपील अधिकारी प्रासनिक विभाग होगा।
21. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
22. कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ले-आउट की जिम्मेदारी संवेदक की होगी जिसके लिए निविदा प्रपत्र में दक्ष अभियंता रखने की शर्त रखी गई हैं। जिसका विभाग द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
23. कार्यों के सुचारु क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय से समन्वय व सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी। भुगतान हेतु संवेदक को कार्य बिल के साथ भुगतान अभिशंषा प्रपत्र पर संबंधित क्षेत्र के जलग्रहण उपसमिति के पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा भुगतान नहीं किया जावेगा।
24. कृषि भूमि में लाभार्थी से अंदान प्राप्त करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक को कार्य की लागत का विभागीय मापदण्डों के अनुसार अंशदान कार्यालय में जमा करवाना होगा अन्यथा संबंधित बिल में से अंशदान राशि काटकर भुगतान किया जावेगा तथा अंशदान राशि को सम्बन्धित कोष के खाते में जमा कराया जाएगा।
25. निविदा आवेदन हेतु निविदा की विस्तृत शर्तें कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं।
26. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 व आर.टी.पी.पी. रूल 2013 की समस्त शर्तें लागू होगी।
27. कार्य आई.डब्ल्यू.एम.पी. में स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र में एक साथ प्रारम्भ किया जाना हैं। इस हेतु संवेदक को पर्याप्त मशीनरी, स्टाफ एवं दक्ष अभियंता उपलब्ध कराना होगा।
28. एक कार्य पूर्णतया ड्रेसिंग/कॉम्पेक्शन पूर्ण कर ही अगला कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
29. कार्य नक्शे में माईको जलग्रहण क्षेत्र की Ridge Line में आ रहे खेतों में कृषको से लिखित सहमती संवेदक द्वारा प्राप्त की जावेगी जिसका सत्यापन सम्बन्धित कार्यालय द्वारा किया जावेगा। आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्र से बाहर व बिना कृषक अनुमति किये गए कार्य का भुगतान देय नहीं होगा।
30. समस्त कार्य विभाग की टेक्नीकल गाईडलाईन के अनुसार ही किया जावेगा, कृषि भूमि में कार्य पिट (Pit) लगा कर मिट्टी के बण्ड का निर्माण किया जावेगा व डेले तोड़े जाकर कुटाई की जावेगी] SBD (Standard Bid Document) अनुसार कृषि भूमि में फिल्ड बण्ड (Field Bund) पर वेस्ट वियर बनाया जाना होगा। साईट इंन्चार्ज अभियंता द्वारा प्रदान किये गए निर्देशानुसार एवं ड्राईंग में दर्शाये गये अनुसार मिट्टी खोदते समय बर्म छोड़ा जाना आवश्यक हैं।
31. चिनाई/पिचींग में 23 सेमी (9 इंच) मोटाई के पत्थर ही प्रयुक्त किये जावेंगे।
32. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कमी होने पर कार्य को रूकवाने/टेण्डर निरस्त करने के पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
33. किये गये कार्य का डंपदजमदंबम दो वर्षाकाल तक संरक्षित रखे जाने की संवेदक की जिम्मेदारी होगी, इस दौरान कार्य में किसी भी प्रकार की क्षति/चोरी होने पर कार्य तुरन्त संवेदक को दुरुस्त करना होगा। संवेदक द्वारा दुरुस्त नहीं करने पर विभाग द्वारा अपने स्तर पर कार्य दुरुस्त कराये जाकर संवेदक की प्रतिभूति राशि से कटौती कर ली जावेगी।
34. वित्त विभाग के परिपत्र: प-1(1)वित्त/GF&AR@2007 दिनांक 21.04.2010 परिपत्र संख्या 07/2010 के तहत सामग्री की दरें सभी प्रकार के टैक्स, रॉयल्टी इत्यादि सहित होगी। सभी प्रकार के टैक्स तथा जी.एस.टी., रॉयल्टी अन्य किसी प्रकार का सम्बन्धित टैक्स इत्यादि को राजकीय कोष में नियमानुसार जमा करवाने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

  
 (दिलीप कुमार वर्मा)  
 अधिशाषी अभियन्ता  
 जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण  
 भीनमाल, जिला-जालोर (राज.)

35. मूदा कार्यों के लिए किये जाने वाले घनत्व जांच के आवश्यक उपकरण कार्य स्थल पर संवेदक को रखना अनिवार्य होगा।
36. कोई भी संवेदक SBD (Standard Bid Document) (टेंडर) <https://eproc.rajasthan.gov.in/> पर इलेक्ट्रॉनिकी जमा करने में किसी भी कारण से Late (विलंब) हो जाता है तो उसकी विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
37. Standard Bid Document (टेंडर) के प्रपत्र में आव यक सभी सूचनाओं को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें अन्य विवरण निविदा पत्रों में उपलब्ध हैं।
38. कार्य निष्पादन हेतु श्रीमान् आयुक्त महोदय द्वारा उनके पत्रांक: एफ 20 (229)आजभूसं/पीएफसी/2018/5293-408 दिनांक 12.02.2018 में जारी शड्यूल ऑफ पॉवर लागू होगी।
39. निविदादाता द्वार इस आशय का शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न किया जायेगा कि उसका पंजीयन सम्बन्धित विभाग द्वारा निरस्त/ब्लेक लिस्टेड/डीबार नहीं किया हुआ है।
40. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग कि क्रमांक: एफ 4(82)परावि/पीसी/बीएसआर/निविदा/15/ 1584 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित निर्देशों की पालना में अन्तर राशि की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
41. समस्त प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र भीनमाल जिला- जालोर होगा।
42. निर्माण कार्य में विलम्ब के लिए शास्ति निम्नानुसार आरोपित करने का प्रावधान-

पूर्ण निश्चित अवधि में समयावधि	1/4 अवधि	1/2 अवधि	3/4 अवधि	पूर्ण अवधि
न्यूनतम कार्य सम्पादन (लागत अनुसार)	1/8 लागत	1/3 लागत	3/4 लागत	पूर्ण लागत
विलम्ब के लिए देय शास्ति की दर	विहित समय अवधि की 1/4 अवधि तक का विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 2.5 प्रतिशत	विहित समय अवधि की 1/4 अवधि से अधिक किन्तु 1/2 तक का विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 5 प्रति शत	विहित समय अवधि की 1/2 अवधि से अधिक किन्तु 3/4 अवधि तक का विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 7.5 प्रति शत	विहित समय अवधि की 3/4 अवधि से अधिक विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 10 प्रति शत

उदाहरणार्थ- यदि किसी निर्माण कार्य कर स्वीकृत राशि (पूर्ण लागत) 24.00 लाख रूपये हैं एवं कार्य सम्पादित करने की पूर्ण अवधि 8 माह हैं तो उक्त कार्य की 1/4 अवधि का तात्पर्य 2 माह एवं न्यूनतम कार्य सम्पादन (लागत अनुसार) 1/8 भाग पूर्ण होना चाहिये अर्थात् 3.00 लाख रूपये का होना चाहिये। यदि उक्त कार्य का निर्धारित अवधि में राशि रूपये 2.00 लाख का ही खर्चा किया गया है तो शेष अन्तर राशि रूपये 1.00 लाख पर 2.5 प्रतिशत शास्ति वसूल की जायेगी। इस प्रकार की लगाई गई शास्ति को अगली कार्य अवधि चरण में आनुपातिक कार्य पूर्ण होने पर उसका पुनर्भरण हो सकेगा।

(दिलीप कुमार वर्मा)  
 (दिलीप कुमार वर्मा)  
 जल अधिशाषी अभियंता,  
 जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण,  
 भीनमाल

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर